



निविदा की अनुसूची (केवल सीपीपी पोर्टल के ई-खरीदी के माध्यम से)

भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर सीपीपी पोर्टल के माध्यम से "ईटानगर में भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय भवन में प्रशिक्षित अग्रिम कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध" का ई-निविदा आमंत्रित करता है। विस्तृत निविदा नोटिस के साथ ई-निविदा सीपीपी पोर्टल (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) के ई-टेंडरिंग पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

2. सभी इच्छुक और पात्र कंपनियों/फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से सीपीपी पोर्टल के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा।

3. ई-टेंडर की अनुसूची इस प्रकार है

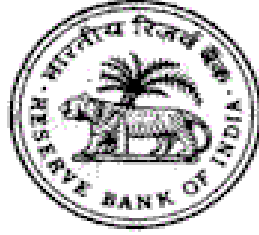
1	काम	ईटानगर में भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय भवन में प्रशिक्षित अग्रिम कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध
2	टेंडर आईडी	2026_RBI_289914_1
3	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली के माध्यम से (https://etenders.gov.in/eprocure/app))
4	अनुमानित लागत	₹54,00,000/- (सभी समावेशी)
5	बयाना धन जमा (EMD)	₹1,08,000/- (अनुमानित लागत का 2%) [भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी के पक्ष में एनईएफटी के माध्यम से खाता संख्या - 8692299, आईएफएससी - RBIS0GWPA01 में जमा किया जाएगा एनईएफटी लेनदेन टिप्पणियों में अपना नाम/कंपनी का नाम/निविदा का नाम का उल्लेख करते हुए] कृपया ध्यान दें कि सभी प्रतिभागियों को अनिवार्य रूप से ईएमडी का भुगतान करना होगा। प्रतिभागियों को उनके द्वारा किए गए ईएमडी का विवरण ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत करना आवश्यक है hmrmditanagar@rbi.org.in
6	बैंक गारंटी	₹2,70,000/- (अनुमानित लागत का 5%)

7	बैंक की वेबसाइट और सीपीपी पोर्टल पोर्टल में एनआईटी का प्रकाशन	07 सितंबर, 2026 04:00 pm
8	बोली पूर्व बैठक का कार्यक्रम	10 सितंबर, 2026, 11:00 am स्थान – ग्राउंड फ्लोर, भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर प्रतिभागियों को ईमेल आईडी पर एक दिन पहले अपनी भागीदारी की पुष्टि करनी होगी – hrrmditanagar@rbi.org.in
9	भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर बोली-पूर्व बैठक के कार्यक्रम के प्रकाशन की तिथि, यदि कोई हो।	10 सितंबर, 2026
10	सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करने के लिए ई-टेंडर शुरू होने की तिथि	07 सितंबर, 2026, 04:00 pm
11	तकनीकी वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के समापन की तिथि	07 अक्टूबर, 2026, 04:00 pm
12	भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर को ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	07 अक्टूबर, 2026, 04:00 pm
13	भाग-1 यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के खुलने की तिथि और समय	07 अक्टूबर, 2026, 04:00 pm
14	मूल्य बोली खोलने की तिथि और समय	उचित समय पर सूचित किया जाएगा।

4. बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

5. भविष्य में जारी किए गए निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल आरबीआई की वेबसाइट और सीपीपी पोर्टल पर अधिसूचित किया जाएगा जैसा कि ऊपर दिया गया है और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
ईटानगर



भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग
ईटानगर
Tender No. 2026_RBI_289914_1

ईटानगर में भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय भवन में प्रशिक्षित अग्रिशमन कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध

भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के संदर्भ में निगमित) पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाली पात्र फर्मों/ठेकेदारों से वार्षिक सेवा अनुबंध के तहत ईटानगर में भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय भवन में अग्रिशमन कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए दो भागों (भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली) में ई-निविदा आमंत्रित करता है। अनुबंध शुरू में 31 मार्च, 2027 तक वैध होगा, और इसे अधिकतम दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में एक वर्ष, संतोषजनक प्रदर्शन, या अन्य अवधि या मापदंडों के अधीन जैसा कि बैंक निर्णय ले सकता है।

12 महीने के लिए काम की अनुमानित लागत (जीएसटी को छोड़कर)	बयाना धन जमा (अनुमानित लागत का 2%)
₹54,00,000/-	₹1,08,000/-

स्थान: ईटानगर
दिनांक: 07 सितंबर, 2026

महाप्रबंधक (प्रभारी
अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
ईटानगर

अनुक्रमणिका

खंड	विवरण	पृष्ठ संख्या
I	ई-टेंडर के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	8
II	पूर्व-पात्रता मानदंड	10
III	निविदाकर्ताओं को निर्देश	14
IV	तकनीकी बोली	19
V	घोषणा	23
VI	कार्य का विस्तृत दायरा	24
VII	नियम और शर्तें	26
-	अनुलग्नक I	37
-	अनुलग्नक II	38
-	अनुलग्नक III	40
-	अनुलग्नक IV	41
-	अनुलग्नक V	43
-	अनुलग्नक VI	47
-	वित्तीय बोली	49

अस्वीकरण

बैंक ने इच्छुक पार्टियों को काम की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज तैयार किया है। जबकि बैंक ने यहां निहित जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे क्रम में मानता है, न तो बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकरण या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी इस दस्तावेज में निहित जानकारी या किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई भी अभ्यावेदन देते हैं, व्यक्त या निहित करते हैं।

जानकारी संपूर्ण होने का इरादा नहीं है। इच्छुक पार्टियों को अपनी पूछताछ स्वयं करनी होगी। उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा जमा करते समय केवल बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा नहीं करते हैं। सूचना इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों पर गैर-बाध्यकारी है।

बैंक इस निविदा के साथ आगे न बढ़ने या निविदा के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज में परिलक्षित समय सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, भविष्य में जारी किया जाएगा, केवल आरबीआई की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

यह निविदा दस्तावेज न तो एक प्रस्ताव पत्र है और न ही एक कानूनी अनुबंध है, बल्कि प्रस्ताव के लिए एक निमंत्रण है। इस निविदा-प्रक्रिया से बैंक की ओर से कोई भी संविदात्मक दायित्व तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि बैंक के विधिवत अधिकृत अधिकारियों और निविदाकर्ता द्वारा औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर और निष्पादित नहीं किए जाते हैं। निविदाकर्ता, निविदा प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के बावजूद, निविदा दस्तावेजों के विवरण को हर समय गुप्त और गोपनीय मानेगा। इसके अलावा, बैंक इस निविदा के जवाब की तैयारी में निविदाकर्ता द्वारा किए गए किसी भी लागत के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।



भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग
ईटानगर

निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी)
(केवल ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से)

भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के संदर्भ में निगमित) पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाली पात्र फर्मों/ठेकेदारों से वार्षिक सेवा अनुबंध के तहत ईटानगर में भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय भवन में अग्रिशमन कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए दो भागों (भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली) में ई-निविदा आमंत्रित करता है। अनुबंध शुरू में 31 मार्च, 2027 तक वैध होगा, और इसे अधिकतम दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में एक वर्ष, संतोषजनक प्रदर्शन, या अन्य अवधि या मापदंडों के अधीन जैसा कि बैंक निर्णय ले सकता है।

निविदा की अनुसूची (एसओटी)

1	काम	ईटानगर में भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय भवन में प्रशिक्षित अग्रिशमन कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध
2	टेंडर आईडी	2026_RBI_289914_1
3	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली के माध्यम से https://etenders.gov.in/eprocure/app)
4	अनुमानित लागत	₹54,00,000/- (सभी समावेशी)
5	बयाना धन जमा (EMD)	₹1,08,000/- (अनुमानित लागत का 2%) [भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी के पक्ष में एनईएफटी के माध्यम से खाता संख्या - 8692299, आईएफएससी - RBISOGWPA01 में जमा किया जाएगा एनईएफटी लेनदेन टिप्पणियों में अपना नाम/कंपनी का नाम/निविदा का नाम का उल्लेख करते हुए] कृपया ध्यान दें कि सभी प्रतिभागियों को अनिवार्य रूप

		से ईएमडी का भुगतान करना होगा। प्रतिभागियों को उनके द्वारा किए गए ईएमडी का विवरण ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत करना आवश्यक है hrmditanagar@rbi.org.in
6	बैंक गारंटी	₹2,70,000/- (अनुमानित लागत का 5%)
7	बैंक की वेबसाइट और सीपीपी पोर्टल पोर्टल में एनआईटी का प्रकाशन	07 सितंबर, 2026 04:00 pm
8	बोली पूर्व बैठक का कार्यक्रम	10 सितंबर, 2026, 11:00 am स्थान – ग्राउंड फ्लोर, भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर प्रतिभागियों को ईमेल आईडी पर एक दिन पहले अपनी भागीदारी की पुष्टि करनी होगी – hrmditanagar@rbi.org.in
9	भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त के प्रकाशन की तिथि, यदि कोई हो।	10 सितंबर, 2026
10	सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करने के लिए ई-टेंडर शुरू होने की तिथि	07 सितंबर, 2026, 04:00 pm
11	तकनीकी वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई- निविदा के समापन की तिथि	07 अक्टूबर, 2026, 04:00 pm
12	भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर को ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	07 अक्टूबर, 2026, 04:00 pm
13	भाग-I यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के खुलने की तिथि और समय	07 अक्टूबर, 2026, 04:00 pm
14	मूल्य बोली खोलने की तिथि और समय	उचित समय पर सूचित किया जाएगा।

नोट: भविष्य में जारी किए गए निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल आरबीआई की वेबसाइट और सीपीपी पोर्टल पर ऊपर दिए गए अनुसार अधिसूचित किया जाएगा और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
ईटानगर

भाग I, खंड I
ई-टेंडर के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह आरबीआई का ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सर्विस प्रोवाइडर/कॉन्ट्रैक्टर सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (CPPP) (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) है।

ई-टेंडर की प्रक्रिया: बोली लगाने वालों के लिए मैनुअल किट होम पेज पर उपलब्ध है।

नए बोली लगाने वाले के लिए रजिस्ट्रेशन:

इस प्रक्रिया में CPP पोर्टल पर वेंडर का रजिस्ट्रेशन शामिल है, जो मुफ्त है।
<https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page>

किसी भी तकनीकी सवाल के लिए कृपया 24x7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें।

0120-4001 002

0120-4001 005

0120-4493 395

ईमेल सपोर्ट: पब्लिश किए गए टेंडर से जुड़ी किसी भी समस्या या स्पष्टीकरण के लिए, बोली लगाने वालों से अनुरोध है कि वे संबंधित टेंडर आमंत्रित करने वाले अधिकारी से संपर्क करें।

तकनीकी- support-eproc@nic.in

नीति से संबंधित - cppp-doe@nic.in

आरबीआई, ईटानगर में संपर्क व्यक्ति:

1. Shri Mitesh Kumar Singh (Assistant Manager, Tech-Civil); 080-22180256
2. Smt Deepika Purohit (Assistant Manager, Estate Department); 080-22180272
3. Shri Chandrakanta B (Assistant Manager, Estate Department); 080-22180588

‘टेक्नो-कमर्शियल बिड’ और ‘प्राइस बिड’ को (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) पर ऑनलाइन जमा करना होगा।
टेंडर में बताई गई तारीख और समय पर टेंडर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोले जाएंगे।

टेंडर में सभी जानकारी बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन टेक्निकल और कमर्शियल फॉर्मेट में भरी जानी चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि MSME में रजिस्टर्ड प्रतिभागियों सहित सभी प्रतिभागियों को अपनी बोली पर विचार किए जाने के लिए योग्य होने हेतु EMD जमा करना आवश्यक है।

भाग I, खंड II

ईटानगर में भारतीय रिजर्व बैंक कार्यालय भवन में प्रशिक्षित अग्रिशमन कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध

निविदाकर्ता का नाम:

पता:

पूर्व-पात्रता मानदंड

मापदंड	माँग
1. पिछले अनुभव की अवधि	31 मार्च, 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़ी कंपनियों के साथ काम करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। निविदाकर्ताओं को पिछले 5 वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दिखाते हुए अपनी ग्राहक सूची प्रस्तुत करनी चाहिए। सूची में ग्राहक का नाम, निष्पादित कार्य का मूल्य आदि जैसे विवरण शामिल होंगे। निविदाकर्ता को 5 वर्ष के न्यूनतम अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए (जैसा कि अनुलग्नक I में दिया गया है)। निविदाकर्ता को निम्नलिखित में से किसी भी खंड में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए (i) चार सितारा होटल या उससे ऊपर, (ii) अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू हवाई अड्डे, (iii) मेट्रो रेलवे स्टेशन, (iv) लग्जरी शॉपिंग मॉल, (v) प्रतिष्ठित/सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंक/उद्यम। निविदाकार को ऊपर उल्लिखित ग्राहकों से कार्य आदेशों की प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए। (विधिवत भरा हुआ अनुलग्नक I ई-टेंडरिंग पोर्टल में अपलोड किया जाएगा)

2. वार्षिक टर्नओवर	31 मार्च, 2026 को समाप्त पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित लागत का 100% या उससे अधिक का औसत वार्षिक कारोबार होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) से एक प्रमाण पत्र, बैलेंस शीट के साथ, विधिवत प्रमाणित, निविदा के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बैलेंस शीट और सीए प्रमाण पत्र के बिना कोई भी निविदा दस्तावेज टर्नओवर के संबंध में अस्वीकार कर दिया जाएगा।
3. सेवा सेट अप	निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट कार्य के लिए एक पूर्ण सेवा स्थापित करने के समर्थन में प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना चाहिए। (ई-टेंडरिंग पोर्टल पर अपलोड किया जाना है)

4. प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप /एलएलपी/प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कंपनी का विवरण	कंपनी/फर्म/एजेंसी का पूरा विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। किसी कंपनी के मामले में, पंजीकरण प्रमाण पत्र, कंपनी के झापन और एसोसिएशन के लेख और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज और सभी निदेशकों और जिम्मेदार अधिकारियों के विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी विलेख, पावर ऑफ अटॉर्नी, यदि कोई हो और फर्म का गठन करने वाले सभी भागीदारों का विवरण और किसी एजेंसी या स्वामित्व के मामले में, उसमें शामिल व्यक्ति/व्यक्तियों के विवरण के साथ-साथ नाम (ओं) और पते (ओं) आदि को शामिल किया जाना चाहिए प्रस्तुत किया गया।
5. प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप/ एलएलपी/प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कंपनी की क्रेडिट योग्यता	निविदाकर्ता को अपनी क्रेडिट योग्यता साबित करने के लिए निविदा की अनुमानित लागत ₹54,00,000/- (चौवन लाख रुपये मात्र) के बराबर या उससे अधिक मूल्य के अनुलग्नक ॥ में दिए गए बैंकर प्रमाण पत्र को भी अपलोड करना होगा। प्रमाणपत्र 01 अप्रैल, 2026 या उसके बाद का होना चाहिए। (विधिवत भरा हुआ अनुलग्नक ॥ ई-टेंडरिंग पोर्टल में अपलोड किया जाएगा)

6. बैंकर और उनके वर्तमान संपर्क कार्यकारी का नाम और पता	निविदाकर्ताओं के बैंकरों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी के साथ-साथ पूरे ब्यौरे जैसे नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन नंबर। संपर्क कार्यपालकों (अर्थात् वे व्यक्ति जिनसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने बैंकर के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) के (लैंडलाइन और मोबाइल), फैक्स नंबर आदि अपलोड किए जाने चाहिए। निविदाकर्ताओं के बैंक खातों का पूरा विवरण जैसे बैंक शाखा का पता, आईएफएस कोड, खाता संख्या और प्रकार, जब खोला जाता है, आदि प्रस्तुत किया जाना चाहिए (अपलोड किया जाना चाहिए)। (विधिवत भरा हुआ अनुलग्नक III ई-टेंडरिंग पोर्टल में अपलोड किया जाएगा)
7. ग्राहकों के नाम और पते और उनके वर्तमान संपर्क अधिकारी और details of Work	निष्पादित, पुरस्कृत, निष्पादित कार्य की वास्तविक लागत, अधिकारियों/अधिकारियों/विभागों के नाम, पते और संपर्क विवरण जिनके तहत कार्य निष्पादित किया गया था, का ग्राहकवार प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए/अपलोड किया जाना चाहिए। (विधिवत भरा हुआ अनुलग्नक IV ई-टेंडरिंग पोर्टल में अपलोड किया जाएगा)
8. अन्य पात्रता	आईएसओ प्रमाणित होना चाहिए क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) से लाइसेंस सहित ईटानगर में अग्निशमन व्यवसाय करने के लिए वैध लाइसेंस और सभी कानूनी/वैधानिक अनुमोदन होना चाहिए। दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित लागू पंजीकरण/लाइसेंस (पैन, सेवा कर, ईएसआई, पीएफ आदि) होना चाहिए। मजबूत वित्तीय साख होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए किसी भी वित्तीय संस्था के लिए डिफॉल्टर।

9. जमा किए जाने वाले दस्तावेज	लेखापरीक्षित या चार्टर्ड एकाउंटेंट पिछले 3 लेखा वर्षों के लिए खातों का प्रमाणित विवरण। पिछले तीन वर्षों के लिए आयकर विभाग के पास दाखिल आयकर रिटर्न की प्रतियां। लागू कर पंजीकरण की प्रतियां। जैसे पैन, टीआईएन, जीएसटी आदि। संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी कंपनी/फर्म/एजेंसी के पंजीकरण प्रमाणपत्रों की प्रतियां। ई.पी.एफ.ओ . की प्रतियां पंजीकरण प्रमाण पत्र और ईएसआईसी पंजीकरण प्रमाण पत्र। वर्तमान कार्य की अनुमानित लागत के बराबर राशि के लिए विशेष रूप से निविदाकर्ता के बैंकरों द्वारा जारी किया गया सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र, जो निविदाकर्ता की वित्तीय सुदृढ़ता को दर्शाता है। भारत में किसी अनुसूचित बैंक में उनके द्वारा रखे गए बैंक खाते का विवरण । ईटानगर में अग्निशमन व्यवसाय करने के लिए सरकारी प्राधिकरण द्वारा वैध लाइसेंस की प्रति। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) से लाइसेंस सहित ईटानगर में अग्निशमन व्यवसाय करने के लिए वैध लाइसेंस और सभी कानूनी/वैधानिक अनुमोदनों की प्रति।
--------------------------------------	--

नोट:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक निविदाकर्ता के पिछले प्रदर्शन पर उसके ग्राहकों से रिपोर्ट प्राप्त करेगा और निविदाओं के भाग-II को खोलने से पहले मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और/या उसके / या उसके / उनके ग्राहकों से प्राप्त उनकी निष्पादन रिपोर्ट और/या उनके बैंकरों की रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक उसके निविदा प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

भाग I, खंड III

निविदाकर्ताओं को निर्देश

1. बोली-पूर्व बैठक (ऑफ़लाइन)

- इस दस्तावेज के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले निविदाकर्ताओं को इस दस्तावेज में दिए गए उल्लिखित ईमेल पते पर लिखित रूप में आरबीआई से संपर्क करना होगा या बोली-पूर्व बैठक के दौरान पूछताछ करनी होगी।
- निविदाकर्ताओं के नामित प्रतिनिधियों को (तिथि, समय और स्थान) पर एक पूर्व-बोली बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बैठक का उद्देश्य मुद्दों को स्पष्ट करना और उस स्तर पर उठाए गए सवालों के जवाब देना होगा।
- निविदाकर्ता इस दस्तावेज में उल्लिखित आरबीआई के ईमेल पते पर ई-मेल भेजकर प्रश्न, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेंगे, तो बोली-पूर्व बैठक की तारीख से एक दिन पहले नहीं।
- प्री-बिड मीटिंग से अनुपस्थिति एक निविदाकर्ता के लिए अयोग्यता का कारण नहीं होगी।

2. निविदा से जुड़े दस्तावेज

निविदा में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- ई-टेंडर आमंत्रित करने की सूचना
- तकनीकी बोली विवरण
- वाणिज्यिक बोली विवरण
- बयाना धन जमा (EMD) एनईएफटी के माध्यम से निम्नलिखित खाता:

खाता संख्या	8692299
आईएफएस कोड	RBIS0GWPA01

सफल बोलीदाता द्वारा ठेका दिए जाने के बाद प्रस्तुत की जाने वाली निष्पादन बैंक गारंटी का प्रारूप।

सफल बोलीदाता और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच करार का प्रारूप

3. निविदाओं की वैधता की अवधि

निविदा निविदा खोलने की तारीख से नब्बे (90) दिनों की अवधि के लिए वैध होगी।

असाधारण परिस्थितियों में, निविदा वैधता अवधि की समाप्ति से पहले, भारतीय रिज़र्व बैंक

निविदाकर्ताओं से उनकी निविदा की वैधता की अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। अनुरोध और प्रतिक्रियाएं लिखित रूप में दी जाएंगी।

4. निविदाओं को जमा करना, सील करना और चिह्नित करना

- a. इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदाएं जमा करने वाले निविदाकार ई-निविदा के संबंध में निर्देशों में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक निविदा जमा करने की प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।
- b. निविदाकार अपनी तकनीकी बोली के साथ-साथ वाणिज्यिक बोली को निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ प्रस्तुत करेंगे, जैसा कि निविदा दस्तावेज में दर्शाया गया है। सभी जानकारी के साथ ई-निविदा निर्धारित समय और तारीख पर या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी।
- c. यदि वांछित / निर्धारित जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक निविदा को अस्वीकार करने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

5. निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि

- a. निविदाएं इस दस्तावेज़ में उल्लिखित ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन भरी जानी चाहिए, इस दस्तावेज़ में इंगित तिथि और समय के बाद नहीं।
- b. भारतीय रिज़र्व बैंक अपने हिसाब से निविदा दस्तावेज में संशोधन करके ई-निविदाएं जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।

6. देर से निविदाएं - ई-पोर्टल पर समय सीमा के बाद कोई निविदा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे दरों का उल्लेख करते समय भारत सरकार (श्रम और रोजगार मंत्रालय), मुख्य श्रम आयुक्त (सी), नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा निर्धारित अस्थायी श्रम लागत पर विचार करें।

8. निविदा खोलना

आरबीआई अधिसूचित तिथि पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदा खोलेगा। निविदा का भाग-I (तकनीकी बोली) उन निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उपस्थित होना चुनते हैं। भाग-II (वाणिज्यिक बोली) केवल उन निविदाकर्ताओं के लिए खोला जाएगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भाग-I (तकनीकी बोली) की संवीक्षा के बाद अर्हता/उपयुक्त पाए जाते हैं, जिसे ई-मेल द्वारा सभी पात्र निविदाकर्ताओं को अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा। इस संबंध में आरबीआई का फैसला अंतिम होगा।

9. बोली मूल्यांकन मानदंड

तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन सीपीपी पोर्टल पर बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

मूल्य बोली के मामले में, यदि एक से अधिक एल 1 मौजूद है, तो अनुलग्नक VI में उल्लिखित मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली एजेंसी को अनुबंध प्रदान किया जाएगा।

(नोट: निविदाओं के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी निविदाकर्ताओं या किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं की जाएगी, जो आधिकारिक तौर पर ऐसी प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, जब तक कि सभी निविदाकर्ताओं को अनुबंध पुरस्कार की जानकारी नहीं दी जाती है)

10. निविदाओं का स्पष्टीकरण

- a. निविदाकर्ताओं की परीक्षा, मूल्यांकन, निविदाओं की तुलना और योग्यता में सहायता करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेक से किसी भी निविदाकर्ता से अपनी निविदा के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकता है, जिससे प्रतिक्रिया के लिए उचित समय मिल सके। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण जो आरबीआई के अनुरोध के जवाब में नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध करता है और उत्तर लिखित रूप में होगा। निविदाओं के मूल्यांकन में आरबीआई द्वारा खोजी गई अंकगणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि करने के अलावा, निविदा की कीमतों या पदार्थ में कोई बदलाव की मांग नहीं की जाएगी, पेशकश की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।
- b. यदि कोई निविदाकर्ता स्पष्टीकरण के लिए आरबीआई के अनुरोध में निर्धारित तिथि और समय तक अपनी निविदा के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसकी निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

11. अनुबंध पर हस्ताक्षर

सफल निविदाकर्ता भारतीय स्टाम्प अधिनियम (और इसके बाद के संशोधनों) के अनुसार मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर आरबीआई के साथ एक समझौते को निष्पादित करेगा। स्टॉप शुल्क सफल निविदाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कार्य सौंपे जाने की सूचना के मुद्दे को बाध्यकारी संविदा के रूप में माना जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के करार को निष्पादित किया गया है और इस संविदा पर सभी निबंधन और शर्तें लागू होंगी।

12. बैंक गारंटी

- a. सफल निविदाकर्ता अनुबंध के निष्पादन के साथ, अनुबंध V में दिए गए प्रदर्शन के अनुसार ₹2,70,000/- (रुपये दो लाख सत्तर हजार मात्र) की बैंक गारंटी (बीजी) प्रस्तुत करेगा। बीजी अनुबंध अवधि की समाप्ति के बाद साठ (60) दिनों की अवधि के लिए वैध होना चाहिए। ऐसे निविदाकर्ता का ईएमडी बैंक गारंटी प्राप्त होने पर वापस कर दिया जाएगा।
- b. सफल निविदाकर्ता की 2,70,000/- रुपये (दो लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने या करार पर हस्ताक्षर करने में विफलता पंचाट को रद्द करने, ईएमडी को जब्त करने और ऐसे निविदाकर्ता को काली सूची में डालने के लिए पर्याप्त आधार होगी।
- c. अनुबंध की अवधि समाप्त होने के दो महीने बाद बैंक गारंटी बिना ब्याज के जारी की जाएगी, जब वे अनुबंध के सफल समापन से संतुष्ट हो जाएंगे और सफल निविदाकर्ता या उसके कर्मचारियों की ओर से कोई देनदारी नहीं होगी। किसी भी शिकायत या लंबित बकाया के मामले में, बैंक गारंटी को सुरक्षा जमा के रूप में माना जाएगा और सभी बकाया, देनदारियों आदि को समायोजित करने के बाद ही इसका निर्वहन किया जाएगा।

13. अस्वीकरण

- a. हालांकि इस दस्तावेज को तैयार करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है, लेकिन निविदाकार खुद को संतुष्ट करेंगे कि दस्तावेज सभी तरह से पूर्ण है। किसी भी विसंगति की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को तुरंत दी जाएगी। यदि ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना की तारीख से सात (07) दिनों के भीतर किसी भी निविदाकर्ता से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि यह दस्तावेज सभी मामलों में पूर्ण है।
- b. भारतीय रिजर्व बैंक सभी प्रारूपों और अनुलग्नक सहित इस दस्तावेज को संशोधित करने, संशोधित करने या पूरक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- c. हालांकि यह दस्तावेज अच्छे विश्वास के साथ तैयार किया गया है, न तो भारतीय रिजर्व बैंक और न ही इसके कर्मचारी या सलाहकार यहां दिए गए किसी भी बयान या चूक या सूचना की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता के संबंध में कोई भी प्रतिनिधित्व या वारंटी, व्यक्त या निहित, या कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करेंगे, और किसी भी कानून के तहत कोई दायित्व नहीं लेंगे। इस दस्तावेज की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के रूप में कानून, नियम या विनियम, भले ही कोई नुकसान या क्षति उनकी ओर से किसी भी कार्य या चूक के कारण हो।

नोट-निविदाकर्ता काम की मात्रा का आकलन करने के लिए दरों का उल्लेख करने से पहले साइट पर जा सकते हैं।

- 14.** पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, बोलियों के मूल्यांकन और तुलना के दौरान योग्यता मानदंडों के आधार पर टेंडर देने वालों की स्वीकार्यता तय करना ज़रूरी है। बैंक अपनी मर्जी से बोली लगाने वाले से बोली के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण का अनुरोध लिखित रूप में दिया जाएगा, जिसमें टेंडर देने वाले से एक तय तारीख तक जवाब देने के लिए कहा जाएगा। साथ ही, इसमें यह भी बताया जाएगा कि अगर टेंडर देने वाला उस तारीख तक पालन या जवाब नहीं देता है, तो उसका टेंडर रद्द किया जा सकता है। नतीजे के आधार पर, ऐसे टेंडर को नज़रअंदाज़ किया जाएगा या उन पर आगे विचार किया जाएगा। बोली की कीमतों या मुख्य बातों (जैसे स्पेसिफिकेशन) में कोई बदलाव न तो मांगा जाएगा, न ही पेश किया जाएगा और न ही इसकी इजाज़त होगी। बोली लगाने वाले की तरफ़ से बोली के बाद दिए गए किसी स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा। कमी वाली जानकारी या दस्तावेज़ केवल उन पुराने दस्तावेज़ों के मामले में मांगे जाने चाहिए जो टेंडर खुलने के समय पहले से मौजूद थे और जिनमें तब से कोई बदलाव नहीं हुआ है। जहाँ तक योग्यता मानदंडों के लिए दस्तावेज़ जमा करने की बात है, टेंडर जमा करने के बाद केवल कमी वाले संबंधित दस्तावेज़ ही मांगे जाने चाहिए और उन पर विचार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर बोली लगाने वाले ने बिना पूरा होने/परफॉर्मेंस सर्टिफ़िकेट के कोई कॉन्ट्रैक्ट जमा किया है, तो वह सर्टिफ़िकेट मांगा जा सकता है और उस पर विचार किया जा सकता है। हालाँकि, बोली लगाने वाले को योग्य बनाने के लिए कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मांगा जाना चाहिए। योग्य टेंडर देने वालों की शॉर्ट-लिस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, जिन टेंडर देने वालों को चुना नहीं गया है, उन्हें लिखित रूप में इसकी सूचना दी जाएगी।

भाग I, खंड IV

तकनीकी बोली

से,

.....

.....

.....

सेवा मेरे

महाप्रबंधक (ओआईसी)

भारतीय रिज़र्व बैंक

वन विहार, एपीएफसीएल बिल्डिंग, चिंपू

ईटानगर – 791113

क्र. सं	विवरण	निविदाकर्ता द्वारा भरा जाने वाला विवरण
1	निविदाकर्ता का नाम	
2	कंपनी/एजेंसी/फर्म का प्रकार- (चाहे प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप/एलएलपी/प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड। कंपनी) स्थापना की तिथि पंजीकरण (फर्म, कंपनी आदि), पंजीकरण प्राधिकरण, तिथि, संख्या आदि का विवरण (एकल स्वामित्व के मामले में लागू नहीं)। कृपया के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें वही	
3	पदनाम के साथ निविदाकर्ता के मालिक/भागीदारों/निदेशकों का नाम	

4	निविदाकर्ता का पंजीकृत कार्यालय/व्यावसायिक पता टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर के साथ और ई-मेल। ईटानगर में अपना कार्यालय होना चाहिए या नहीं ईटानगर में स्थानीय कार्यालय का पता। प्राधिकृत अधिकारी का नाम और उसका टेलीफोन नंबर। कृपया इसके समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें।	
5	कार्य अनुभव - पूर्व-पात्रता मानदंड और कार्य आदेश, दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित नियमों और शर्तों में आवश्यकता के अनुसार कार्य अनुभव का विवरण। भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी कार्यालय या सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों में इसी तरह की सेवाओं के पिछले अनुभव, यदि कोई हो, के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विवरण भी होना चाहिए। दिया गया है।	
6	क्या पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत वार्षिक व्यावसायिक कारोबार कार्य की अनुमानित लागत का 100% है। सहायक दस्तावेजों को टर्नओवर के प्रमाण में संलग्न किया जाना चाहिए।	
7	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न – वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024 – 25 और वित्त वर्ष 2025-26 (स्व-सत्यापित प्रति जमा की जानी है)	

8	क्या ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971 के तहत श्रम विभाग के साथ पंजीकृत है। (यदि हां, तो अपलोड किए जाने वाले प्रमाण पत्र की प्रति)	
9	बैंकों के नाम और पते। निविदाकर्ता की ऋण योग्यता के संबंध में बैंकों का प्रमाण पत्र बैंकर द्वारा इस निविदा के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार उनके लेटरहेड पर दिया जाना है दस्तावेज़।	
10	मौजूदा ग्राहकों के नाम और पते उनके पूर्ण विवरण के साथ। शीर्ष तीन मौजूदा ग्राहकों से प्रतिक्रिया अपलोड करने की आवश्यकता है।	
11	बैंक खाता (आईएफएस कोड और खाता संख्या) जहां निविदाकर्ता के संगठन द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाएगा।	

तकनीकी बोली के लिए जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की प्रतियां:

1. लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण (वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए)।
2. पिछले तीन वित्तीय वर्षों यानी वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न।
3. ग्राहकों की सूची।
4. शीर्ष तीन मौजूदा ग्राहकों से प्रतिक्रिया।
5. निगमन दस्तावेज।
6. जहां भी लागू हो, पैन, टिन और जीएसटी पंजीकरण की प्रतियां।
7. ईटानगर में अग्निशमन व्यवसाय करने के लिए वैध लाइसेंस और सभी कानूनी/वैधानिक अनुमोदनों की प्रति, जिसमें क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) से लाइसेंस भी शामिल है, यदि लागू हो।
9. निविदा दस्तावेज में उल्लिखित विधिवत भरे हुए अनुलग्नक।
8. कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है या बैंक द्वारा मांग की गई है।

बैंक उपर्युक्त विवरण में से किसी एक या सभी के प्रमाण/सत्यापन के लिए कॉल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

भाग I, खंड V घोषणा

(निविदाकर्ता के लेटर हेड पर तकनीकी बोली में प्रस्तुत किया जाना है, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित)

मैं/हमने इस ई-निविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले इसमें निहित सभी नियमों और शर्तों और निर्देशों को पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है और स्वयं उक्त नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन दिया है।

2. मैं/हम एतद्वारा ई-निविदा दस्तावेज में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

3. मैं/हम यह भी समझते हैं कि केवल आवेदन पत्र भरने से हम स्वचालित रूप से सूचीबद्ध होने के योग्य नहीं हो जाते हैं। हम आरबीआई, आईटीएनगर के किसी भी या सभी आवेदनों (हमारे सहित) को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने के अधिकार से भी सहमत हैं।

4. यदि इस निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम एतद्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं या डिफ़ॉल्ट रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक को उक्त शर्तों में निर्दिष्ट राशि को जम्मा करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

5. मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि निविदा निविदा खोलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है। मैं/हम बयाना धन जमा (ईएमडी) और प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रदान करने के लिए भी सहमत हैं, जो सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तारीख से परे साठ (60) दिनों की अवधि के लिए वैध है।

6. मैं/हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, अनुबंध श्रम अधिनियम और भविष्य निधि अधिनियम, ईएसआई, पीएफ, बोनस, ग्रेच्युटी, राहत प्रभार, वर्दी और उसके भत्ते और समय-समय पर लागू होने वाले अन्य प्रभारों जैसे अन्य सांविधिक प्रावधानों का पालन करेंगे। मैं केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार तैनात कर्मियों को मजदूरी का भुगतान करूंगा और किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। मैं/हम बैंक की संतुष्टि के लिए मासिक आधार पर उपरोक्त के लिए दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत करेंगे।

7. मैं/हम समझते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, बिना कोई कारण बताए के।

के इस दिन _____ दिनांकित _____.

हस्ताक्षर:

नाम:

निविदाकर्ता की मुहर:

भाग I, खंड VI

कार्य का विस्तृत दायरा

- i. चयनित निविदाकर्ता को बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर में तीन (3) उच्च कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और छह (06) कुशल फायरमैन को तैनात करना होगा। एक अतिरिक्त फायर सुपरवाइजर और दो फायरमैन को रिलीवर के रूप में तैनात करना होगा। इस प्रकार, तैनात किए जाने वाले फायर सुपरवाइजर और फायरमैन की कुल संख्या क्रमशः चार और आठ है। इस संख्या को बैंक की आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है (बढ़ाया या घटाया जा सकता है)।
- ii. फायर सुपरवाइजरों और फायर फाइटर्स के ड्यूटी के घंटे बैंक द्वारा आवश्यकता के अनुसार तय किए जाएंगे। हालांकि, कंपनी/फर्म आठ घंटे की शिफ्ट में फायर सुपरवाइजर और फायर फाइटर्स को तैनात करेगी और उन्हें तीन शिफ्टों में चौबीसों घंटे काम करना चाहिए (सुबह 06:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक; दोपहर 02:00 बजे से रात 10:00 बजे तक और रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक) यानी 365 दिन अग्नि सुरक्षा प्रदान करना, अग्नि नियंत्रण कक्षों का संचालन करना, फायर अलार्म जैसे अग्नि सुरक्षा उपकरणों को पकड़ना और बनाए रखना। हाइड्रेंट, वेट/ड्राई रिसर सिस्टम, अग्निशामक, जनरल स्टाफ का प्रशिक्षण, स्थानीय फायर ब्रिगेड के साथ संपर्क आदि। कोई भी व्यक्तिगत फायर स्टाफ लगातार 8 घंटे से अधिक समय तक ड्यूटी पर नहीं रहेगा। बीमारी/अन्य कारणों से जनशक्ति की किसी भी कमी को कंपनी/फर्म द्वारा तदर्थ आधार पर पूरा किया जाएगा। 10 दिनों से अधिक समय तक प्रतिनियुक्त व्यक्ति की अनुपस्थिति को प्रतिस्थापन के रूप में माना जाएगा।
- iii. फायर सुपरवाइजर और फायर फाइटर्स को काम के घंटों के दौरान बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर ड्यूटी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। उन्हें प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन प्रतिक्रिया और अग्निशमन कार्यों सहित अग्नि सुरक्षा और सुरक्षा उपायों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।
- iv. यदि कोई फायर सुपरवाइजर/फायर फाइटर बीमारी/खराब स्वास्थ्य के कारण ड्यूटी पर उपस्थित होने में असमर्थ है, तो एजेंसी समान क्षमताओं और सक्षम उच्च कुशल फायर सुपरवाइजर/कुशल फायर फाइटर्स के साथ उपयुक्त विकल्प प्रदान करेगी।
- v. **कार्य का सामान्य दायरा:**
 - a. अग्नि नियंत्रण कक्ष की चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है।
 - b. निर्धारित आवधिक समय पर सेवाक्षमता के लिए सभी अग्नि उपकरणों की जाँच करना।
 - c. सभी अग्निशमन उपकरणों के एएमसी सेवा प्रदाता द्वारा किए गए कार्यों की निगरानी करना।

- d. अग्निशमन पर बैंक कर्मचारियों का आवधिक प्रशिक्षण आयोजित करना।
- e. प्रारंभिक चरण में आग पर काबू पाना और जब भी वे पहुंचते हैं फायर ब्रिगेड की सहायता करना।
- f. नियमित अग्निशमन अभ्यास करना।
- g. कार्य और प्रशासन के सभी पहलुओं पर अग्नि के प्रभारी सुरक्षा प्रबंधक के अधीन कार्य करना।
- h. फायर ऑडिट में सहायता करना।
- i. आग के खतरों की पहचान करने के लिए पूरे परिसरों/आवासीय कॉलोनियों का नियमित निरीक्षण करना और आग और भवन संहिता के उल्लंघनों से बचाव के लिए हटाना/कदम उठाना।
- j. सभी भागने के मार्गों और फायर लेन की प्रतिदिन जाँच करें और सुनिश्चित करें कि वे बाधाओं से मुक्त हैं।
- k. किसी घटना की स्थिति में खोज और बचाव और बचाव कार्यों में सहायता करना।
- l. आवश्यकता पड़ने पर शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों/आगंतुकों की सहायता करना।
- m. कंपनी/फर्म इस काम के लिए तैनात व्यक्तियों को अपने खर्च पर दो जोड़ी वर्दी प्रदान करेगी और इसमें फ्लोरोसेंट जैकेट भी शामिल होगी - जिस पर पीछे की तरफ फायर सेफ्टी के रूप में अंकित है, फायर हेलमेट, सेफ्टी शूज, मोजे, सीटी के साथ डोरी, सर्दियों के लिए जर्सी, बरसात के मौसम के लिए रेनकोट/छाता, सभी चौकियों पर भरी हुई मशालें और लाठीयां भी शामिल होंगी। भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर का इस खाते पर कोई दायित्व नहीं होगा। वर्दी को महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), आरबीआई, ईटानगर द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- n. भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर द्वारा कोई आवास सुविधा या चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।
- o. बैंक किसी भी चोट या दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो ड्यूटी के घंटों के दौरान किसी भी फायर स्टाफ को हो सकता है और किसी भी फायर स्टाफ की मृत्यु या चोट के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

अग्निशमन कर्मचारी प्रोटोकॉल और सुरक्षा प्रकोष्ठ, आरबीआई, ईटानगर के सीधे नियंत्रण और पर्यवेक्षण में होंगे।

भाग I, खंड VII

नियम और शर्तें

अनुबंध की अवधि

अनुबंध शुरू में 31 मार्च, 2027 तक की अवधि के लिए वैध होगा, जब तक कि पहले समाप्ति खंड के अनुसार समाप्त न किया गया हो। अनुबंध को एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए पारस्परिक नियमों और शर्तों पर नवीनीकृत और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन दो साल से अधिक नहीं।

A. काम करने का समय

1. सफल निविदाकर्ता को सभी दिनों में अपने उच्च कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और कुशल अग्निशमन कर्मियों को तैनात करने की आवश्यकता होती है।
2. कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और कुशल अग्निशमन कर्मियों के ड्यूटी के घंटों का निर्धारण बैंक द्वारा आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

B. सामान्य नियम और शर्तें

1. भारतीय रिजर्व बैंक, ईटानगर कार्यालय परिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, ईटानगर में चार (04) अत्यधिक कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और आठ (08) कुशल अग्निशमन कर्मियों की तैनाती के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों/फर्मों से ई-निविदाएं आमंत्रित करने का इरादा रखता है। इस संख्या को बैंक की आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है (बढ़ाया या घटाया जा सकता है)।
2. इच्छुक आवेदकों को अपनी आवश्यक पात्रता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ बैंक को संतुष्ट करना होगा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में बैंक उनके आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
3. सेवा प्रदाताओं को उनके द्वारा लगाए गए कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और कुशल अग्निशमन कर्मियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। बैंक की विभिन्न संपत्तियों पर तैनात कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और कुशल अग्निशमन कर्मियों के लिए पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र आवश्यक है और उनकी तैनाती से पहले पुलिस सत्यापन रिपोर्ट आरबीआई, ईटानगर को उपलब्ध कराई जाएगी।
4. फायर स्टाफ के पास न्यूनतम पूर्व-योग्यता मानदंड होने चाहिए:
(a) फायरमैन को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए (प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने के लिए)

(b) फायर सुपरवाइजर को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए (प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं)

(c) फायरमैन और फायर सुपरवाइजर दोनों को अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ने और लिखने में सक्षम होना चाहिए।

(d) पर्यवेक्षकों को सरकार / सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 03 (तीन) महीने की अवधि के अग्निशमन में एक बुनियादी पाठ्यक्रम से गुजरना चाहिए। उनके पास प्रतिष्ठित संगठनों में समान क्षमता में काम करते हुए प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन प्रतिक्रियाओं और अग्निशमन कार्यों सहित अग्नि सुरक्षा और सुरक्षा उपायों में न्यूनतम 03 (तीन) वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(e) अग्निशमकों को सरकार/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशमन का बुनियादी कोर्स किया जाना चाहिए। उनके पास अग्नि सुरक्षा और सुरक्षा उपायों में न्यूनतम 01 (एक) वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन प्रतिक्रियाएं और अग्निशमन संचालन शामिल हैं, जबकि प्रतिष्ठित संगठनों में समान क्षमता में काम करना चाहिए।

5. सेवा प्रदाता किसी भी कार्य या चूक के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा और बैंक की संपत्ति के लिए अपने कर्मचारियों/एजेंटों की ओर से उसकी भरपाई करेगा।

6. सेवा प्रदाता सक्षम सरकारी प्राधिकारियों से पंजीकरण/लाइसेंस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। आरबीआई किसी भी प्रचलित कानून के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। आवश्यक दस्तावेज, यदि कोई हो, प्रस्तुत किए जाने हैं।

7. सफल बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि तैनात किया गया पूरा कार्यबल विनम्र और अच्छे शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार वाले हैं और अच्छी तरह से तैयार हैं और अच्छे संचार कौशल वाले हैं और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखते हैं और उन्हें अत्यंत अनुशासन की छवि पेश करनी चाहिए।

8. यदि अनुबंध के तहत सफल बोलीदाता द्वारा तैनात कोई भी कार्मिक अनुपस्थित है (हैं), तो तुरंत एक विकल्प प्रदान किया जाएगा। विकल्प प्रदान किए बिना अनुपस्थिति के मामले में, सफल बोलीदाता के बिलों से आनुपातिक राशि काट ली जाएगी।

9. यदि यह देखा जाता है कि सफल निविदाकर्ता द्वारा तैनात कामकों को काम के लिए रिपोर्ट करने में बार-बार देरी हो रही है या निर्धारित समय से पहले अपना काम पूरा किए बिना परिसर छोड़ दिया जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास उचित समझे जाने पर मौद्रिक जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित है।

10. यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा लगाए गए कर्मियों के कदाचार/दुर्व्यवहार या काम की खराब गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो ऐसी प्रत्येक घटना के लिए ₹2000/- का जुर्माना लगाया जाएगा और इसे सफल

निविदाकर्ता के बिल से काट लिया जाएगा। इसके अलावा, सफल निविदाकर्ता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह आरबीआई द्वारा अधिसूचित किए जाने के तुरंत बाद उक्त कर्मियों को साइट से हटा दे।

11. सफल निविदाकर्ता द्वारा इस प्रकार नियुक्त किए गए प्रत्येक कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान फर्म/कंपनी आदि के नाम और लोगो, जूते और अपने नाम के साथ एक बैज पहनना होगा।

12. आरबीआई को पर्याप्त आधार पर सफल निविदाकर्ता द्वारा तैनात किसी भी कार्मिक को हटाने के लिए कहने का अधिकार है।

13. सफल निविदाकर्ता किसी भी उप-एजेंसी को नियुक्त नहीं करेगा या किसी भी तरह से किसी अन्य व्यक्ति को अनुबंध हस्तांतरित नहीं करेगा।

14. सफल निविदाकर्ता अन्य प्रासंगिक विवरणों के साथ तैनात किए जाने वाले अपने कर्मियों के चरित्र और पूर्ववृत्त पर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। सफल निविदाकर्ता को भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यालय भवन में ड्यूटी पर लगाने से पहले अपने पासपोर्ट आकार के फोटो जमा करने होंगे। केवल 21-55 वर्ष की आयु के बीच के सक्षम शरीर, शारीरिक रूप से फिट, अच्छी तरह से प्रशिक्षित, साक्षर, शिष्ट और ईमानदार कर्मियों को ही कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और कुशल अग्निशमन कर्मियों के रूप में तैनात किया जाएगा। इस आशय का प्रमाण पत्र कि भारतीय रिजर्व बैंक की सेवाओं में तैनात सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन किया जा चुका है और सफल निविदाकर्ता के पास उपलब्ध हैं, अनुबंध के प्रभावी होने के एक महीने के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक अनुबंध की निरंतरता के दौरान किसी भी समय इन्हें सत्यापित कर सकता है। यह निविदा की एक महत्वपूर्ण शर्त है।

15. सफल निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और कुशल अग्निशमन कर्मियों का पर्याप्त रूप से बीमा किया गया है, जिसके लिए आरबीआई द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक इस अनुबंध के निष्पादन के एक भाग के रूप में सफल निविदाकर्ता द्वारा तैनात व्यक्तियों को किसी भी क्षति/चोट के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ड्यूटी पर रहते हुए किसी भी दुर्घटना या मृत्यु से उत्पन्न होने वाली सभी देनदारियां सफल निविदाकर्ता द्वारा वहन की जाएंगी।

16. सफल निविदाकर्ता और उसके कर्मचारी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें दिए गए उत्तरदायित्व के क्षेत्रों के हानि, विनाश, बर्बादी या दुरुपयोग से बचाने के लिए उचित और उचित सावधानी बरतेंगे और जानबूझकर किसी भी व्यक्ति या कंपनी को अपनी जिम्मेदारी के क्षेत्र के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी प्रभाव को उधार नहीं देंगे।

17. सफल निविदाकर्ता आरबीआई की सभी संपत्ति और उपकरणों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। भारतीय रिजर्व बैंक को अपने व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार से हुई क्षति या हानि की वसूली सफल निविदाकर्ता

से की जाएगी।

18. सफल निविदाकर्ता की ओर से किसी भी चूक के परिणामस्वरूप आरबीआई को किसी भी नुकसान की स्थिति में, उक्त नुकसान का दावा नुकसान के मूल्य तक किया जाएगा। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के ईटानगर के महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) का निर्णय अंतिम होगा और सफल निविदाकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा।

19. किसी भी मुकदमेबाजी या सफल बोलीदाता के कर्मियों के किसी भी कार्य से उत्पन्न होने वाली कोई भी देयता सीधे इसके द्वारा वहन की जाएगी, जिसमें सभी खर्च/जुर्माना शामिल हैं। सफल बोलीदाता के कर्मचारी आवश्यकता पड़ने पर अदालत में उपस्थित होंगे।

20. यदि श्रम प्राधिकारियों के किसी भी निर्देश या किसी भी श्रम कानून या विनियम के तहत किए गए दावे या आवेदन के परिणामस्वरूप किसी भी राशि का भुगतान आरबीआई और सफल बोलीदाता के बीच किए जाने वाले अनुबंध के संबंध में आरबीआई द्वारा किया जाता है, तो ऐसी राशि को सफल बोलीदाता द्वारा ऐसे निर्देशों के पंद्रह दिनों के भीतर आरबीआई को देय माना जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक इस राशि को सफल बोलीदाता से इसके कारण होने वाले धन से कटौती करके वसूलने का हकदार होगा।

21. विक्रेता सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान किए गए अनुबंध के तहत कार्य/सेवाओं से उत्पन्न होने वाले या उसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी दावों, नुकसानों, हानि और खर्चों से और उनके खिलाफ आरबीआई को क्षतिपूर्ति करेगा और अप्रभावित रखेगा।

22. भारतीय रिज़र्व बैंक अनुबंध की समाप्ति के बाद सफल बोलीदाता द्वारा तैनात किसी भी कार्मिक को रोजगार प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक में किसी भी रोजगार का कोई अधिकार अनुबंध के तहत किसी भी कार्य के लिए कर्मियों की नियुक्ति के आधार पर अर्जित या उत्पन्न नहीं होगा।

23. यदि भुगतान के बाद लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप सफल बोलीदाता द्वारा किए गए किसी भी कार्य के संबंध में किसी अधिक भुगतान का पता चलता है या निविदा के तहत सफल बोलीदाता द्वारा किए गए कथित रूप से किया गया है, तो इसे बाद में सफल बोलीदाता से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वसूल किया जाएगा।

24. करार के निष्पादन के बाद संशोधन की आवश्यकता वाले संविदा के किसी भी प्रावधान की स्थिति में, इसे लिखित रूप में किया जाएगा और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसका प्रतिनिधित्व उसके प्राधिकृत अधिकारी और सफल बोलीदाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा। अनुबंध में इस तरह के संशोधन तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि दोनों पक्षों द्वारा इस पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं।

25. सफल बोलीदाता एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें कर्मियों की दिन-प्रतिदिन की तैनाती दर्ज की जाएगी। बिल उठाते समय, प्रत्येक माह के दौरान लगाए गए कामकों की तैनाती का विवरण, शिफ्ट वार, पर्यवेक्षक द्वारा

हस्ताक्षरित और भारतीय रिज़र्व बैंक के केयर टेकर और सुरक्षा प्रबंधक द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित विवरण दिखाया जाना चाहिए। सफल बोलीदाता को सरकारी नियमों और कानूनों के अनुसार आरबीआई में तैनात कर्मियों को मजदूरी के भुगतान के संबंध में एक शपथ पत्र देना होता है।

26. किसी भी कारण से अनुबंध की समाप्ति की स्थिति में, सफल बोलीदाता/या इसके द्वारा नियोजित व्यक्ति या उसके एजेंटों मुआवजे, क्षति या अन्यथा के रूप में आरबीआई से किसी भी राशि या रकम के हकदार नहीं होंगे।

27. सफल बोलीदाता केवल अपने बैंक खाते के माध्यम से नियोजित कामगारों को केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करेगा और भुगतान किए गए मजदूरी का एक रजिस्टर बनाए रखेगा और नियोजित प्रत्येक कामगार को मजदूरी पर्ची जारी करेगा और मजदूरी पर्चियों पर उनके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा। इसके अलावा, सफल बोलीदाता को ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अनुसार अपने कर्मचारियों को पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा आदि जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं। साथ ही, इसे प्रधान नियोक्ता को उन सभी कार्रवाइयों के खिलाफ क्षतिपूर्ति रखनी चाहिए जो वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा प्रधान नियोक्ता के खिलाफ इस तरह के वेतन का भुगतान करने और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में विफलता के लिए शुरू की जा सकती हैं।

28. सफल बोलीदाता ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 या किसी अन्य कानून के तहत यथा अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करेगा, जिसमें विफल रहने पर वह ही यह सुनिश्चित करने वाली कार्रवाई/कार्यवाहियों के लिए जिम्मेदार होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक को सफल बोलीदाता के कार्यों, कमीशन या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और किसी भी तरह से सफल बोलीदाता द्वारा लगाए गए श्रमिकों के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा।

29. सफल बोलीदाता मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 या इस संबंध में लागू किसी अन्य श्रम कानून/क़ानून के किसी भी उपबंध के उल्लंघन के लिए सभी हानियों और दावों, हर्जाने या मुआवजे के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा। इस संबंध में केवल सफल बोलीदाता देनदारियों, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार होगा।

30. सफल बोलीदाता को अपने कर्मचारियों को हर महीने की कम से कम 10 तारीख तक एनईएफटी/आरटीजीएस/चेक के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए अपने कर्मचारियों द्वारा एक बैंक खाता बनाए रखा जाना चाहिए।

31. सफल बोलीदाता को दूसरे महीने से अगले महीने के चालान के साथ हर महीने एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ताकि आरबीआई में तैनात उसके सभी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान केंद्र सरकार के सभी नियमों और विनियमों और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार किया गया हो। इस प्रमाण पत्र के बिना, बिल

भुगतान संसाधित नहीं किया जाएगा।

32. सफल बोलीदाता को मासिक आधार पर प्रत्येक कर्मचारी के पीएफ/ईएसआई/वेतन आदि के लिए कर्मचारियों के योगदान को जमा करने का प्रमाण आरबीआई को प्रस्तुत करना चाहिए।

33. किए गए कार्य/प्रदान की गई सेवा के लिए सफल बोलीदाता को भुगतान निम्नलिखित के अधीन मासिक आधार पर किया जाएगा:

34. भारतीय रिजर्व बैंक अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार उस महीने के लिए निष्पादित कार्य की गुणवत्ता के बारे में संतुष्ट है, जिसके लिए सफल बोलीदाता ने बिल उठाया है।

(a) सफल बोलीदाता के श्रमिकों को मजदूरी का संवितरण सफल बोलीदाता द्वारा उस महीने के लिए पहले ही किया जा चुका है जिसके लिए सफल बोलीदाता को भुगतान विचाराधीन है।

(b) इस संबंध में सफल बोलीदाता द्वारा पहले उल्लेख किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। हालांकि, इन भुगतानों को करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेजों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी भी समय इसके सत्यापन के लिए कहा जा सकता है।

35. भारतीय रिजर्व बैंक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-सी के तहत स्रोत पर आयकर की कटौती करेगा, जो उसमें शामिल आय पर आयकर के रूप में प्रचलित दरों पर होगा। कोई अन्य वैधानिक कटौती, यदि आवश्यक हो, तो भी लागू होगी।

36. निविदाकर्ता को बिल का भुगतान आम तौर पर बैंक द्वारा बिल प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर बैंक द्वारा किया जाएगा, जो सभी आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने के अधीन है। हालांकि, यदि किसी भी कारण से 45 दिनों से अधिक की देरी होती है, तो इसे तुरंत बैंक के ध्यान में लाया जा सकता है।

37. सेवा प्रदाता के दिवालिया होने की स्थिति में सेवा प्रदाता के साथ व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।

38. सेवा प्रदाताओं के चयन पर निर्णय लेते समय, अच्छी सेवा की क्षमता और क्षमता पर जोर दिया जाएगा।

39. सेवा प्रदाता बैंक द्वारा दी जाने वाली छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्बाध सेवा सुनिश्चित करेगा। खराब सेवा की स्थिति में, बैंक सेवा प्रदाताओं के साथ व्यवस्था को तत्काल समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

40. आवेदन पत्र पर संगठन की ओर से एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो ऐसा करने के लिए विधिवत अधिकृत है।

41. पूर्ण और पूरी जानकारी प्रदान की जा सकती है, और यदि आवश्यक हो तो विधिवत हस्ताक्षरित कागज की

एक अलग शीट का उपयोग किया जा सकता है।

42. गलत या अपर्याप्त जानकारी वाले आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।

43. अगर काम का ठेका दिया जाता है, तो ठेकेदार को अपने कर्मचारियों के लिए 'ऑल रिस्क पॉलिसी', 'वर्कमेन कंपनसेशन पॉलिसी' और 'थर्ड-पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी' जमा करनी होगी, जो कॉन्ट्रैक्ट की अवधि तक मान्य होनी चाहिए।

44. यदि काम दिया जाता है, तो ठेकेदार को अपने कर्मचारियों के लिए कामगार मुआवजा नीति प्रस्तुत करनी होगी जो अनुबंध की अवधि तक वैध होनी चाहिए।

45. बैंक ऊट्टी के घंटों के दौरान होने वाली किसी भी चोट या दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और अत्यधिक कुशल अग्नि पर्यवेक्षकों और कुशल अग्निशामकों को चोट के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

46. सेवा प्रदाता द्वारा उपर्युक्त सेवाओं के लिए तैनात कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षक और कुशल अग्निशमन कर्मों सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए सेवा प्रदाता के कर्मचारी होंगे और इस प्रकार तैनात व्यक्ति सेवा प्रदाता के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में रहेंगे और किसी भी स्थिति में, उक्त व्यक्तियों और आरबीआई ईटानगर के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध अंतर्निहित या स्पष्ट रूप से अर्जित नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी कि उसके द्वारा तैनात श्रमिकों के संबंध में इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ईटानगर पर कोई दायित्व नहीं होना चाहिए। सेवा प्रदाता रोजगार आदि से संबंधित कानून और अपने कर्मचारियों पर लागू होने वाले अन्य कानूनों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा। यह सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी कि वह उच्च कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और कुशल अग्निशामकों को भोजन/टिफिन/चाय/कॉफी/आवास प्रदान करे।

47. सेवा प्रदाता द्वारा कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और कुशल अग्निशमन कर्मियों के लिए चिकित्सा आपातकालीन सहायता प्रदान की जाएगी।

48. यदि सेवा प्रदाता द्वारा इस प्रकार तैनात किया गया कोई व्यक्ति सही तरीके से नहीं आता है या अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करता है या कदाचार करता है या किसी गैरकानूनी कार्य या अव्यवस्थित आचरण में लिप्त होता है, तो सेवा प्रदाता तुरंत वापस ले लेगा और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ईटानगर की रिपोर्ट पर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। इसके अलावा, सेवा प्रदाता उक्त व्यक्ति की ओर से उपरोक्त कृत्यों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ईटानगर की मांग पर तैनात विशेष व्यक्ति को तुरंत बदल देगा।

49. सेवा प्रदाता भारतीय रिजर्व बैंक के ईटानगर के परिसर में अपने द्वारा तैनात व्यक्तियों की हालिया तस्वीर के साथ नाम, माता-पिता, आवासीय पता, आयु आदि जैसे विवरण प्रस्तुत करेगा। कार्य के लिए तैनात सेवा प्रदाता के

कर्मचारियों की उचित पहचान के उद्देश्य से, वह उनकी तस्वीरों/पहचान आदि वाले पहचान पत्र जारी करेगा और ऐसे कर्मचारी ऊट्टी के समय अपने पहचान पत्र प्रदर्शित करेंगे।

50. सेवा प्रदाता मजदूरी और अन्य सभी देय राशियों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा जो वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और अन्य प्रासंगिक वैधानिक अधिनियमों के प्रावधानों के तहत प्राप्त करने के हकदार हैं। सफल बोलीदाता ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, ईएसआई अधिनियम 1948, कामगार प्रतिकर अधिनियम 1923, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, बोनस संदाय अधिनियम, 1965, उपदान संदाय अधिनियम, 1965 के प्रावधानों का अनुपालन करेगा। (ख) सरकार ने 1972 से 1972 में एक नियम जारी किया है और ऐसे नियम जहां समय-समय पर ठेका कामगारों पर लागू होने वाले किसी अन्य कानून और नियमों के तहत या किसी अन्य कानून और नियमों के तहत लागू किया जा सकता है। सफल बोलीदाता रजिस्टर और रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा और वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए आरबीआई द्वारा जारी अन्य निर्देशों का पालन करेगा।

51. सफल बोलीदाता इस अनुबंध के संबंध में भारत में कर कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगा और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। सफल बोलीदाता प्रत्येक वर्ष रिटर्न दाखिल करने के प्रमाण की पावती की प्रतियां प्रस्तुत करेगा और सफल बोलीदाता के कर, ब्याज, जुर्माना आदि की देयता के खिलाफ आरबीआई को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति देगा।

C. कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का अनुपालन

1. सफल बोलीदाता "कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिसर में अपने कर्मचारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, सफल बोलीदाता द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और यह शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध सफल बोलीदाता के किसी भी पीड़ित कामगार द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का भारतीय रिज़र्व बैंक की क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। सफल बोलीदाता अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित या संवेदनशील बनाने के लिए जिम्मेदार होगा।

3. सफल बोलीदाता किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे सफल बोलीदाता के कर्मचारियों को

शामिल करने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए आरबीआई कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि सफल बोलीदाता के कर्मचारी द्वारा यौन दुर्व्यवहार साबित होता है।

D. गैर-प्रकटीकरण खंड:

सफल बोलीदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आरबीआई के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो आरबीआई के साथ किए जाने वाले समझौते के संबंध में संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान सफल बोलीदाता के अधिकार या जानकारी में आ सकता है, किसी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे पूरी तरह से विश्वास के साथ रखेगा। सफल बोलीदाता अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। सफल बोलीदाता भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्य जगहों पर कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने या प्रकट करने की अनुमति नहीं देगा। सफल बोलीदाता किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप आरबीआई को हुए किसी भी नुकसान के लिए आरबीआई को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त का पालन करने में विफलता को सफल बोलीदाता की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और भारतीय रिज़र्व बैंक हर्जाने का दावा करने और इसके लिए कानूनी उपाय करने का हकदार होगा। सफल बोलीदाता अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस खंड के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में सफल बोलीदाता के दायित्व किसी भी कारण से आरबीआई के साथ किए जाने वाले इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति से बचेंगे।

E. अनुबंध की समाप्ति के लिए सूचना

बैंक के साथ किए जाने वाले अनुबंध को किसी भी पक्ष द्वारा एक महीने का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। सेवा प्रदाता अनुबंध की समाप्ति पर या अनुबंध की समाप्ति पर आरबीआई ईटानगर के परिसर से अपने द्वारा सभी उच्च कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और कुशल अग्निशामकों को हटा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति स्पष्ट या अप्रत्यक्ष रूप से आरबीआई ईटानगर में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान/बाधा/समस्या पैदा न करे।

F. वेतन संरचना

a) पर्यवेक्षक और फायरमैन के लिए मूल्य केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार उद्धृत किया जाना चाहिए, जो क्षेत्र सी के लिए क्रमशः वॉच एंड वॉर्ड (शस्त्र के साथ) और वॉच और वॉच (बिना शस्त्र के) के तहत उद्धृत किया जाएगा।

b) बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत सेवा शुल्क कुल जनशक्ति प्रभार के 3.85% के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। सेवा शुल्क में ऐसी सभी वस्तुएं/सामग्री/सहायक उपकरण/वर्दी/उपकरण और सफल बोलीदाता द्वारा तैनात अग्निशमन कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले किसी भी अन्य शुल्क/आइटम शामिल होने चाहिए, जिसका विशेष रूप से निविदा दस्तावेज के कार्य के विस्तृत दायरे में उल्लेख किया गया है। सेवा प्रभार में भारतीय रिजर्व बैंक ईटानगर में तैनात सभी अग्निशमन कर्मचारियों के संबंध में सभी जोखिमों को कवर करने के लिए आवश्यक 'कामगार मुआवजा नीति/व्यक्तिगत दुर्घटना नीति' या ऐसी कोई बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए शुल्क भी शामिल होंगे। बिलों के निपटान के समय जीएसटी का भुगतान इसकी प्रयोज्यता के अनुसार किया जाएगा। कुल जनशक्ति प्रभार के 3.85 प्रतिशत से कम सेवा प्रभार का बोली लगाने वाले बोलीदाताओं की निविदा को बैंक द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है।

c) वित्तीय बोली में उद्धृत सेवा शुल्क का प्रतिशत अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान तय रहेगा। बैंक किसी भी परिस्थिति में अनुबंध की अवधि के दौरान सेवा प्रभारों के प्रतिशत में संशोधन के लिए ठेकेदार के दावे पर विचार नहीं करेगा।

d) ठेकेदार का लाभ: निविदाकर्ताओं को कुल जनशक्ति शुल्क के न्यूनतम 5% और अधिकतम 15% के अधीन अपने स्वयं के लाभ प्रतिशत को उद्धृत करने की अनुमति है।

e) केंद्र सरकार से कम 'उद्धृत दरों' वाली निविदाओं को अस्वीकार किया जाना तय है।

G. मध्यस्थता

1. भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए जाने वाले अनुबंध से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी विवाद और/या अंतर को संबंधित पक्षों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की संयुक्त चर्चा के माध्यम से हल किया जाएगा। हालांकि, यदि विवादों को संयुक्त चर्चा द्वारा हल नहीं किया जाता है, तो मामले को महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिजर्व बैंक, ईटानगर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ के पास निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

2. एकमात्र मध्यस्थ का पुरस्कार अंतिम होगा और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही समय-समय पर संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा शासित होगी।

3. मध्यस्थता की लागत संबंधित पक्षों द्वारा समान अनुपात में वहन की जाएगी। मध्यस्थता कार्यवाही और अनुबंध की मुद्रा के लंबित रहने के दौरान, कोई भी पक्ष उस कार्य/सेवा को निलंबित करने का हकदार नहीं होगा जिससे विवाद मध्यस्थता प्रक्रिया की निरंतरता के कारण संबंधित है और सफल बोलीदाता को भुगतान अनुबंध के संदर्भ में किया जाता रहेगा।

4. भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किया जाने वाला करार केवल आईटीएनगर में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

H. अनुबंध की स्वीकृति

1. भारतीय रिज़र्व बैंक इस निविदा के सभी नियमों और शर्तों को पूरा करने पर सफल मूल्यांकन वाले बोलीदाता को ठेका प्रदान करेगा।
 2. आरबीआई "लेटर ऑफ ऑफर" के माध्यम से अनुबंध देने के अपने निर्णय को सूचित करेगा।
 3. सफल बोलीदाता को उक्त प्रस्ताव पत्र जारी होने की तारीख से 10 दिनों की अवधि के भीतर एक समझौते को निष्पादित करना होगा।
 4. सफल बोलीदाता को "प्रस्ताव पत्र" प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी। बैंक गारंटी की राशि @ अनुमानित अनुबंध मूल्य का 5% प्रस्तुत करना होगा।
 5. बैंक गारंटी सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी।
 6. यदि अनुबंध की अवधि को और बढ़ाया जाता है, तो बैंक गारंटी की वैधता भी सफल बोलीदाता द्वारा तदनुसार बढ़ाई जाएगी।
 7. सफल बोलीदाता निर्धारित प्रदर्शन में, पर्यवेक्षक सहित कर्मियों के नामों का उल्लेख करेगा, जिसे वह दिन-प्रतिदिन के आधार पर तैनात करने का प्रस्ताव करता है, जिसे कार्य के सुचारू निष्पादन के लिए अनुबंध की शुरुआत में प्रस्तुत किया जाएगा।
- मैं/हमने सामान्य जानकारी, कार्य के दायरे, नियम और शर्तों को स्पष्ट रूप से ऊपर उल्लिखित पढ़ा है और यदि प्रदान किया जाता है, तो अनुबंध को निष्पादित करते समय इसे स्वीकार करते हैं।**

आवेदक के हस्ताक्षर और मुहर

(कृपया सभी पृष्ठों के नीचे हस्ताक्षर करें)

पिछले पांच (05) वर्षों के दौरान निष्पादित इसी तरह के कार्यों का ब्यौरा

Sr. No.	ग्राहक का नाम पूरा पता और संपर्क नंबर/फैक्स आदि के साथ ।	काम का नाम	काम का मूल्य	पूरा होने की तारीख	कार्य सौंपने की तिथि	स्थिति

(यदि आवश्यक हो तो अलग शीट जोड़ें)

स्थान:

दिनांक:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर

बैंकर्स प्रमाणपत्र
(बैंक के लेटरहेड पर)

संदर्भ संख्या: गुप्त

ईमेल करने के लिए

:

महाप्रबंधक

फोन:

भारतीय रिज़र्व बैंक

वन विहार, एपीएफसीएल बिल्डिंग, चिंपू

ईटानगर, 791113

प्रिय महोदय,

बैंकर्स प्रमाणपत्र: ईटानगर में भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय भवन में प्रशिक्षित अग्रिशमन कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध

हम पुष्टि करते हैं कि मैसर्स मैसर्स (पता

...) हमारे साथ बैंकिंग कर रहे हैं। उपरोक्त प्रकार के किसी भी अनुबंध कार्य को सौंपने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत माना जा सकता है जिसकी लागत ₹ तक हो सकती है..... लाख (रुपये..... केवल)।

2. अन्य विवरण नीचे दिए गए हैं आपका अवलोकन और अभिलेख:

Sl. No.	Particulars	Comments of the Bank
1	फर्म की संरचना (चाहे साझेदारी/स्वामित्व/सार्वजनिक लिमिटेड)	
2	पिछले तीन वर्षों के लिए फर्म का टर्नओवर ₹ में 2023-24 2024-25 2025-26	

3	उनके द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा	हां/नहीं/रुपये तक.....
4	व्यवहार	
5	वह अवधि जिससे फर्म बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है।	
6	कोई अन्य टिप्पणी	

3. यह प्रमाण पत्र बैंक या उसके किसी भी कार्यालय में बिना किसी गारंटी या जिम्मेदारी के जारी किया जाता है।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

मुहर के साथ बैंक का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

पता:

नोट:

बैंकों के प्रमाण पत्र को सील किया जाना चाहिए और महाप्रबंधक (ओआईसी) को संबोधित किया जाना चाहिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, ईटानगर- 791113

साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र शामिल करने के लिए बैंक के साथ दर्ज किए गए सभी भागीदारों के नाम।

बैंक की मुहर

बैंकों का विवरण

बैंकर का नाम:

शाखा का नाम और उसका पूरा डाक पता:

संपर्क व्यक्ति का नाम और नौकरी का शीर्षक उसके टेलीफोन नंबर (ओं) और फैक्स नंबर (ओं) के साथ, आदि:

खाते का प्रकार:

खाता संख्या:

IFSC कोड:

क्या बोलीदाता द्वारा क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ लिया गया है:

वह अवधि जिससे बोलीदाता बैंकर के साथ बैंकिंग कर रहा है:

कोई अन्य जानकारी जो बोलीदाता अपने बैंकर के बारे में प्रस्तुत करना चाहता है:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(नाम और मुहर के साथ)

(ग्राहक द्वारा निविदाकर्ता के माध्यम से सीलबंद कवर में हार्ड कॉपी में प्रस्तुत किया जाना है)

(ग्राहक के लेटर हेड पर)

फर्म का प्रदर्शन विवरण: मैसर्स पर स्थित है.....

1	कार्य आदेश/संदर्भ सं. और समझौते की तारीख	
2	क्या प्रदान की गई सेवाएं प्रशिक्षित अग्नि सुरक्षा कर्मचारी प्रदान करने से संबंधित थीं (हां/नहीं)	
2	अनुबंध का सकल मूल्य (रुपये में)	
3	अनुबंध शुरू होने की तिथि	
4	क्या सेवा समझौते के अनुसार की गई है और फर्म के साथ दर्ज किए गए कार्य का दायरा है	
5	विलंब का कारण (यदि कोई हो) और क्या फर्म पर कोई जुर्माना/परिसमापन क्षति, यदि कोई हो, लगाई गई थी	
6	फर्म की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ (ग्रेडिंग का संकेत दें)	
a	फर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता	बकाया/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
b	तकनीकी दक्षता/क्षमता	बकाया/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
c	फर्म के भागीदारों/मालिकों की अखंडता और विश्वसनीयता	बकाया/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
d	तैनात कर्मियों की अखंडता और विश्वसनीयता	बकाया/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
e	कार्य के निष्पादन में व्यवहार, अनुसूची और समय का पालन	बकाया/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
7	क्या फर्म मध्यस्थता के लिए गई थी?	

8	आपके विचार में कोई अन्य जानकारी हमें निर्णय लेने में मदद करेगी।	
---	---	--

रिपोर्टिंग अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर (कार्यालय मुहर के साथ):

पता:

सम्पर्क करने का विवरण:

बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

स्थान.....

तारीख.....

महाप्रबंधक (ओआईसी) भारतीय

रिज़र्व बैंक, ईटानगर

प्रिय महोदय,

ईटानगर में भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय भवन में प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक, वन विहार, चिंपू, ईटानगर (इसके बाद "आरबीआई" कहा जाता है) में अपने कार्यालय के माध्यम से शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में अपना केंद्रीय कार्यालय है, ने मैसर्स मैसर्स को शीर्षक वाले कार्य (इसके बाद "संविदा" कहा जाता है) के लिए ठेका प्रदान किया है..... (ठेकेदार का नाम) (इसके बाद "उक्त ठेकेदार" कहा जाता है, जिसमें अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और असाइन शामिल होंगे)।

और जबकि उक्त संविदा के अंतर्गत ठेकेदार उक्त संविदा से भारतीय रिज़र्व बैंक ईटानगर को कुल ₹ की राशि के लिए निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है..... (रुपये

.....) उक्त ठेकेदार द्वारा अनुबंध में निहित नियमों और शर्तों को उचित रूप से पूरा करने के लिए। हम, ... (बैंक का नाम), (इसके बाद "बैंक" कहा जाता है), मैसर्स, ठेकेदार के अनुरोध पर, इसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को ₹ से अधिक की राशि का भुगतान करने का वचन देता है..... (रुपये) अनुबंध के नियमों और शर्तों की उचित पूर्ति के लिए प्रदर्शन गारंटी के रूप में।

अब यह गारंटी गवाह है

हम (बैंक का नाम) एतद्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से सहमत हैं और वचन देते हैं कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ठेकेदार ने उक्त संविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, तो कौन सा निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त ठेकेदार पर भी बाध्यकारी होगा; हम भारतीय रिजर्व बैंक की मांग पर आरबीआई को बिना किसी देरी के भुगतान करें, ₹ (रुपये) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मांगी जा सकने वाली किसी भी राशि में या उससे कम राशि । हमारी गारंटी को उक्त अनुबंध के तहत ठेकेदार के दायित्वों के उचित प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन गारंटी राशि के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देयता ₹ की राशि से अधिक नहीं होगी..... (रुपये)

1. हम यह करने और पुष्टि करने के लिए भी सहमत हैं कि राशि ₹ से अधिक नहीं है..... (रुपये) जैसा कि पूर्वोक्त है, हमारे द्वारा बिना किसी आपत्ति या विरोध के भुगतान किया जाएगा, केवल लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त होने पर भारतीय रिजर्व बैंक की मांग पर कि राशि उनके लिए देय है और हम कोई और सबूत या सबूत नहीं मांगेंगे और आरबीआई से नोटिस निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा किसी भी संबंध में या तरीके से पूछताछ नहीं की जाएगी। हम किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या उससे संबंधित मध्यस्थों के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में ठेकेदार द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद/विवाद के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक को इस प्रकार की मांग की गई किसी भी धनराशि का भुगतान करेंगे और इस गारंटी के तहत दायित्व पूर्ण और स्पष्ट होगा। हम पूर्वोक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।
2. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और ठेकेदार के बीच समझौते या समझौतों या अन्य समझ से स्वतंत्र होगा।
3. इस गारंटी को हमारे द्वारा आरबीआई की लिखित पूर्व सहमति के बिना रद्द नहीं किया जाएगा।

हम इसके द्वारा आगे सहमत हैं कि -

- a. उक्त अनुबंध की शर्तों को लागू करने में या उक्त अनुबंध में निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन में या इसके तहत या किसी भी समय को प्रदान करने या ठेकेदार को आरबीआई द्वारा किसी भी अन्य मामले को दिखाने या उसके संबंध में किसी भी अन्य मामले में आरबीआई की ओर से कोई भी सहनशीलता या कमीशन हमें किसी भी तरह से और इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा। यह गारंटी केवल ठेकेदार द्वारा उनके दायित्वों के प्रदर्शन से और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारा ₹ से अधिक की

राशि का भुगतान करके दी जाएगी..... (रुपये)। इन उपहारों के तहत हमारी देयता
₹ की राशि से अधिक नहीं होगी.....
(रुपये.....)

- b. इन उपहारों के तहत हमारा दायित्व हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों की ओर से या उसके तहत उनके दायित्वों या हमारे उक्त घटकों के विघटन या संविधान में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा।
- c. यह गारंटी दोष देयता अवधि से 60 (60) दिनों तक लागू रहेगी बशर्ते कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसा चाहा जाता है, तो इस गारंटी को एक और अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा जैसा कि उनके द्वारा यहां निहित नियमों और शर्तों पर दर्शाया जा सकता है।
- d. इन उपहारों के तहत हमारी देयता तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि इन उपहारों को यहां ऊपर दिए गए अनुसार उस दिन या उस दिन नवीनीकृत नहीं किया जाता है जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का पालन करते हैं, जिसके लिए अकेले आरबीआई द्वारा लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र निर्णायक प्रमाण है, जो भी तारीख बाद में हो। जब तक हमारे खिलाफ कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई किसी विस्तारित अवधि के भीतर दायर नहीं की जाती है, तब तक इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें यहां के तहत हमारे सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त और मुक्त कर दिया जाएगा।

जिसके साक्षी में, बैंक के मैने/हमने इस गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं और इस गारंटी को -----माह (वर्ष) के दिन विधिवत अधिकृत किया है।

के लिए और की ओर से____ (बैंक का नाम)

अधिकृत बैंक के आधिकारिक नाम के हस्ताक्षर और मुहर:

उपाधि:

बैंक की स्टाम्प और मुहर

उपर्युक्त नामित द्वारा बैंक के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित किया गया:

गवाह 1

हस्ताक्षर

नाम

पता

(ध्यान दें: इस बैंक गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टॉप शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार को सत्यापित किया जाएगा).

बोली मूल्यांकन प्रक्रिया

1. यदि एक से अधिक L1 मौजूद हैं, तो निम्नलिखित मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली एजेंसी को अनुबंध दिया जाएगा:

(i)	संचालन में वर्षों की संख्या	अधिकतम 25 अंक
(a)	5 वर्ष और 10 वर्ष तक	15 अंक
(b)	10 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष तक	20 अंक
(c)	15 वर्ष से अधिक	25 अंक
(ii)	टर्नओवर (पिछले तीन वित्तीय वर्ष)	अधिकतम 25 अंक
(a)	1.18 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ तक	15 अंक
(b)	2 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ तक	20 अंक
(c)	5 करोड़ से अधिक	25 अंक
(iii)	रोल पर जनशक्ति की संख्या	अधिकतम 25 अंक
(a)	20 तक	10 अंक
(b)	20 से अधिक और 50 तक	15 अंक
(c)	50 से अधिक और 100 तक	20 अंक
(d)	100 से अधिक	25 अंक
(iv)	गुणवत्ता संबंधी अंक	अधिकतम 25 अंक
(a)	आईएसओ (5 वर्ष से कम)	05 अंक
(b)	आईएसओ (5-10 वर्ष)	15 अंक
(c)	एसए 8000	05 अंक
(d)	ओएचएसएस 18001	05 अंक

2. एजेंसियों को मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित सहायक दस्तावेज अपलोड और जमा करने होंगे।
- कंपनी स्थापना प्रमाण पत्र और कंपनियों के पहले कार्य आदेश की प्रतिलिपि / पूर्णता प्रमाण पत्र / समझौते की प्रति इस प्रमाण के लिए कि संगठन सेवा अनुबंध संचालन में है।
 - चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित एजेंसी द्वारा दावा किए गए वित्तीय वर्षों की संख्या के लिए आईटी रिटर्न, लाभ और हानि और शेष विवरण।

- c. 31 मार्च, 2025 तक रोल पर जनशक्ति की संख्या के लिए स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र।
- d. आईएसओ, एसए8000 और ओएचएसएस 18001 प्रमाणपत्रों की प्रति।

भाग II

वित्तीय बोली

ईटानगर में भारतीय रिजर्व बैंक कार्यालय भवन में प्रशिक्षित अग्रिशमन कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान करने के लिए
वार्षिक सेवा अनुबंध

(केवल सीपीपी पोर्टल पर ई-टेंडरिंग के उद्देश्य से पढ़ा जाना चाहिए न कि पीडीएफ अपलोड करने के लिए)

TABLE-I

क्र सं	विवरण	माप की इकाई	व्यक्तियों की संख्या	दर (₹)	कुल राशि (₹)
A	B	C	D	E	F
1.	मूल न्यूनतम मजदूरी प्लस वीडिए, ईपीएफ, ईएसआईसी, ईपीएफ एडमिन। ईडीएलआई, और बोनस	मासिक (30 दिन)	04 पर्यवेक्षक	(सीपीपी पोर्टल वेबसाइट पर यह राशि दर्ज करें)	
2.	मूल न्यूनतम मजदूरी प्लस वीडिए, ईपीएफ, ईएसआईसी, ईपीएफ एडमिन। ईडीएलआई, और बोनस	मासिक (30 दिन))	08 अग्रिशमन कर्मचारी	(सीपीपी पोर्टल वेबसाइट पर यह राशि दर्ज करें)	
3.	कुल जनशक्ति शुल्क (1+2)				
4.	01 (एक) माह के लिए सेवा प्रभार (क्रम सं 201) में दर्शाए गए अनुसार कुल जनशक्ति प्रभारों का प्रतिशत। 3 ऊपर)	मासिक (30 दिन)	NA	(सीपीपी पोर्टल वेबसाइट पर यह राशि दर्ज करें)	
5.	1 (एक) महीने के लिए ठेकेदार का लाभ (कुल जनशक्ति शुल्क का प्रतिशत जै	मासिक (30 दिन)	NA	(सीपीपी पोर्टल वेबसाइट पर यह राशि दर्ज करें)	

	सा कि ऊपर क्रम संख्या 3 में दर्शाया गया है)			करें)	
6.	01 (एक) महीने के लिए कुल लागत (3+4+5)				

नोट: -

- पर्यवेक्षक और फायरमैन के लिए मूल्य केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार उद्धृत किया जाना चाहिए, जो क्षेत्र सी के लिए क्रमशः वॉच एंड वॉर्ड (शस्त्र के साथ) और वॉच और वॉच (बिना शस्त्र के) के तहत उद्धृत किया जाएगा।
- ऊपर उद्धृत मूल्य में विभिन्न श्रम कानूनों के तहत निविदाकर्ता के सभी वैधानिक दायित्वों को शामिल किया जाना चाहिए: अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (वर्तमान और लागू न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनीय महंगाई भत्ते सहित) से अधिक, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना के माध्यम से घोषित किया गया); कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936; कर्मकार मुआवजा अधिनियम 1923; कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम (विविध प्रावधान) 1952; बोनस भुगतान अधिनियम 1965; नियोक्ता दायित्व अधिनियम 1938 और या कोई अन्य नियम/विनियम और/या मूर्तियां जो समय-समय पर उन पर लागू हो सकती हैं।
- न्यूनतम मजदूरी से कम मूल्य वाली बोलियां (जैसा कि ऊपर उल्लिखित सांविधिक दायित्वों सहित) अस्वीकृत की जा सकती हैं।

Table 2: मजदूरी के सांविधिक घटक लागू सांविधिक दिशा-निर्देशों के अधीन हैं जो नीचे दिए गए हैं। ये परिवर्तन के अधीन हैं और निविदाकर्ता द्वारा नवीनतम दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

1.	12%	ईपीएफ योगदान @ मूल न्यूनतम मजदूरी और वीडिए का 12%	(प्रति माह ₹15,000/- वेतन की अधिकतम सीमा या समय-समय पर ईपीएफओ द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य राशि के अधीन)
2.	0.5%	ईपीएफ प्रशासनिक शुल्क @ मूल न्यूनतम मजदूरी का 0.5% प्लस वीडिए	(₹15,000/- की अधिकतम सीमा के अधीन) प्रति माह वेतन या ईपीएफओ द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य राशि)
3.	0.5%	ईडीएलआई योगदान @ मूल न्यूनतम मजदूरी और वीडिए का 0.5%	(प्रति माह ₹15,000/- वेतन की अधिकतम सीमा या समय-समय पर ईपीएफओ द्वारा

			निर्दिष्ट किसी भी अन्य राशि के अधीन)
4.	3.25%	कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) में नियोक्ता का योगदान जिसमें व्यवस्थापक शुल्क शामिल हैं, यदि कोई हो, तो मूल न्यूनतम मजदूरी और वीडिए का @ 3.25%	(यदि वेतन (बेसिक+वीडीए) ₹21,000/- प्रति माह से अधिक है या ईएसआईसी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य राशि है तो लागू नहीं)
5.	8.33%	बोनस @ 8.33% मूल न्यूनतम मजदूरी और वीडिए	(यदि वेतन (बेसिक+वीडीए) ₹21,000/- प्रति माह से अधिक है या समय-समय पर बोनस अधिनियम द्वारा अपडेट की गई कोई अन्य राशि है, तो लागू नहीं है।

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि ऊपर उद्धृत मूल न्यूनतम मजदूरी और वीडिए मुख्य श्रम आयुक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित औद्योगिक श्रमिकों (भवन संचालन) (कुशल/अकुशल श्रमिकों के लिए) के लिए वर्तमान न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं है, और अन्य अनिवार्य शुल्क अर्थात् ईपीएफ, ईएसआई, ईडीएलआई, बोनस संबंधित सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप हैं।

मैं/हम सहमत हैं कि वित्तीय बोली को अस्वीकार कर दिया जा सकता है यदि उपरोक्त दरों और प्रतिशत में से कोई भी संबंधित वैधानिक कानूनों के अनुपालन में नहीं पाया जाता है।

मैं/हमने ई-टेंडर के नियमों और शर्तों का अध्ययन किया है और उनसे सहमत हूँ।

जगह.....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख.....

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)